(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

GST Matter/Most Urgent
RBA No. 70/2021
GST Circular No.30/2021

No.2021/AC-II/1/8 Dated 13th December 2021

PFAs
Zonal Railways and PUs

Sub: Issues raised by IRFC regarding GST compliance.
Ref: Board's letter of even number dated 15th November 2021

Please refer to the letter ibid requesting for nomination of nodal officers (not below the level of JAG officer) on your Railways to resolve the following issues raised by IRFC in their meeting with MF: -

1. **Display of IRFC Name, etc in Railway premises**: - IRFC has taken registration in various states. giving address of Railways offices for GST purpose and their printed address boards are required to be displayed in these offices. IRFC has pointed out that the address boards of IRFC have not been displayed on these sites, resulting in notices for penalty from the GST authorities for non-compliance. IRFC has already sent printed address boards to all PFAs for arranging display thereof in the respective offices. Nodal officers may be advised to ensure the same immediately.

2. **Non- submission of Invoices:** - As per standard process, all the suppliers supplying goods or services to IR or IRFC are required to upload invoices in their GST return on or before 11th day of the following months. As per CBIC's latest guidelines the Assistant Commissioner GST shall have right to freeze the electric ledger of the dealer in following cases: -
 i. In the case of those dealers who claim ITC without receipt of original copy of the invoice.
 ii. In case of those dealers who claim ITC without receipt of goods into the premises.
 iii. Where suppliers of goods do not pay GST on goods supplied by him.

IRFC has reported that they have not yet received all the invoices. Railway-wise list of such invoices for 2020-21 is posted on IPAS portal. The nodal officers may be directed to ensure that scanned copies of these invoices are sent to IRFC immediately.

3. **Lower Tax Deduction Certificate:** - IRFC has also reported that Railways have not yet uploaded details of LTDC certificate in the data sheet shared with them. A Railway-wise list of pending certificates is posted on CRIS IPAS portal. The nodal officers may ensure that the details are provided forthwith.

The name and contact details of the nodal officer may also be advised immediately if not already advised. As advised earlier, Sh. N.H.Kannan, GM Fin. mobile no.9650709396. email gmirfc@gmail.com is the nodal officer in IRFC for this purpose.

Roopa 13/12/2021

(Roopa Srinivasan)
PED (Accounts)
Railway Board

Copy for information and necessary action to:

MD/IRFC and DF/IRFC
DF/CRIS and GM/AIMS/ CRIS

भारत सरकार/Government of India

रेल मंत्रालय/Ministry of Railways

रेलवे बोर्ड/Railway Board

जीएसटी मामला/अति तत्काल

आरबीए सं. 70/2021

जीएसटी परिपत्र सं. 30/2021

सं. 2021/एसी-II/1/8 नई दिल्ली, 13 दिसंबर, 2021

प्रधान वित्त सलाहकार,

क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां

विषय : जीएसटी अनुपालन के संबंध में आईआरएफसी द्वारा उठाए गए मुद्दे।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का दिनांक 15 नवंबर 2021 का समसंख्यक पत्र।

कृपया उक्त पत्र का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अंतर्गत आईआरएफसी द्वारा बोर्ड (सदस्य वित्त) के साथ बैठक में निम्नलिखित मुद्दों को सुलझाने के लिए आपकी रेलों पर नोडल अधिकारियों (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी के स्तर से नीचे का न हो) को नामित करने का अनुरोध किया गया है :-

1. रेल परिसरों में आईआरएफसी नाम, आदि प्रदर्शित करना :- आईआरएफसी ने जीएसटी प्रयोजन के लिए रेल कार्यालयों के पते देते हुए विभिन्न राज्यों में पंजीकरण किया है और उनके मुद्रित पता बोर्डों को इन कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है। आईआरएफसी ने ध्यान दिलाया है कि इन साइटों पर आईआरएफसी के पता बोर्ड प्रदर्शित नहीं किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप गैर-अनुपालन के लिए जीएसटी प्राधिकारियों द्वारा दंड के लिए नोटिस प्राप्त होते हैं। आईआरएफसी ने सभी प्रधान वित्त सलाहकारों को मुद्रित पता बोर्ड पहले ही भेज दिए हैं ताकि संबंधित कार्यालयों में उनके डिस्प्ले की व्यवस्था की जा सके । नोडल अधिकारियों को इसे तत्काल सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए।

2. बीजकों को प्रस्तुत न किया जाना :- मानक प्रक्रिया के अनुसार, भारतीय रेल या आईआरएफसी को माल या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले सभी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आगामी

माह के 11वें दिन या उससे पहले अपनी जीएसटी रिटर्न में बीजक अपलोड करना अपेक्षित होगा। सीबीआईसी के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, सहायक आयुक्त जीएसटी के पास निम्नलिखित मामलों में डीलर की इलेक्ट्रिक बही को फ्रीज़ करने का अधिकार होगा :

(i) उन डीलरों के मामलों में, जो बीजक की मूल प्रति प्राप्त किए बिना आईटीसी का दावा करते हैं।

(ii) उन डीलरों के मामलों में जो परिसरों में माल प्राप्त किए बिना आईटीसी का दावा करते हैं।

(iii) जहां माल के आपूर्तिकर्ता उसके द्वारा आपूर्ति किए गए माल पर जीएसटी का भुगतान नहीं करते हैं।

आईआरएफसी ने सूचित किया है कि उन्हें अभी तक सभी बीजक प्राप्त नहीं हुए हैं। 2020-21 के लिए ऐसे बीजकों की रेलवे-वार सूची आईपीएएस पोर्टल पर उपलब्ध है। नोडल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए जाएं कि इन बीजकों की स्कैन की गई प्रतियां आईआरएफसी को तत्काल भेजी जाएं।

3. न्यून कर कटौती प्रमाण पत्र :- आईआरएफसी ने यह भी सूचित किया है कि रेलों ने उनके साथ साझा की गई डाटा शीट में एलटीडीसी प्रमाणपत्र के ब्यौरे अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। लंबित प्रमाण पत्रों की रेलवे-वार सूची क्रिस आईपीएएस पोर्टल पर उपलब्ध है। नोडल अधिकारी सुनिश्चित करें कि विवरण तत्काल उपलब्ध करवाए जाएं।

नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण यदि पहले सूचित नहीं किए गए हैं तो वे भी तत्काल सूचित किए जाएं। जैसा कि पहले सूचित किया गया था कि इस उद्देश्य के लिए आईआरएफसी में नोडल अधिकारी श्री एन.एच. कण्णन, महाप्रबंधक वित्त होंगे जिनका मोबाइल नं. 9650709396 है और ईमेल gmirfc@gmail.com है।

(रूपा श्रीनिवासन)
प्रधान कार्यपालक निदेशक(लेखा)
रेलवे बोर्ड

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि प्रेषित :
प्रबंध निदेशक/आईआरएफसी और निदेशक वित्त/आईआरएफसी
निदेशक वित्त/क्रिस और महाप्रबंधक/एआईएमएस/क्रिस